मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक: एफ 11-2/2011/नियम/चार

प्रति,

भोपाल, दिनांक 31 मई, 2011

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय - शासकीय सेवकों से बकाया वसूली के संबंध में -किश्तों का निर्धारण .

--***--

राज्य शासन के ध्यान में आया है कि कतिपय मामलों में शासकीय सेवकों से वसूली योग्य राशि इस कारण लंबित बनी रहती है क्योंकि सक्षम अधिकारी के द्वारा देय किश्तों की संख्या एवं किश्त की राशि की गणना के आदेश नहीं दिए गए है । इसके कारण जहां एक ओर राज्य के कोष में राशि विलंब से जमा होती है वहीं दूसरी ओर शासकीय सेवक के सेवा निवृत्ति लाभ आदि के भुगतान में विलंब होता है । अतः शासन को देय राशि की वसूली के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :-

(i) शासन की समस्त वसूली योग्य राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वसूल की जाएगी । ब्याज की राशि की गणना सामान्य भविष्य निधि की भांति प्रत्येक वर्ष के अन्त में Compounding करते हुये की जावेगी । ब्याज की गणना शासन को पहुँची हानि की तिथि से प्रारम्भ होकर वसूली की अंतिम किश्त के भुगतान के दिनांक तक की जाएगी ।

(ii) शासकीय बकाया की वसूली देय राशि के निर्धारण के तत्काल पश्चात् के मासिक वेतन के बिल से सकल वेतन (Basic Pay + Grade Pay + D.A.) के 1/3 भाग की दर से स्वतः शुरू हो जाएगी एवं तब तक जारी रहेगी, जब तक ब्याज सहित पूर्ण राशि की वूसली नहीं हो जाती । शासकीय सेवक पर ब्याज का भार कम करने के उद्देश्य से शासकीय सेवक को देय अन्य स्वत्व जैसे वेतन/भत्तों के एरियर्स, मानदेय आदि से भी बकाया की वसूली की जानी चाहिए। कार्यालय प्रमुख के लिए यह आवश्यक होगा कि वसूली की राशि के निर्धारण के पश्चात् 10 दिन की समयावधि में शासकीय सेवक से वसूली के आदेश जारी करें ।

(iii) बकाया की वसूली इस आधार पर स्थगित नहीं की जाना चाहिए कि संबंधित शासकीय सेवक के द्वारा इस संबंध में सक्षम अधिकारी को अपील की गई है, जो अभी निर्णय हेतु लंबित है। जब तक ऐसी किसी कार्यवाही में वसूली पर स्थगन आदेश नहीं हो, वसूली कंडिका (2) में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जारी रहेगी ।

Sunita/Niyam/Paripatra/2011
5/29/2011

(iv) शासकीय सेवक से शासकीय बकाया एवं ब्याज की वसूली के लिए कार्यालय प्रमुख, जिन कार्यालयों में संबंधित शासकीय सेवक कार्यरत हैं, पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें । यदि उपरोक्त निर्देशों के पालन में लापरवाही की जाती है, तो संबंधित कार्यालय प्रमुख से वसूली में हुए विलंब की अवधि के लिए वूसली योग्य राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति वसूल की जाएगी । ब्याज की राशि की गणना सामान्य भविष्य निधि की भांति प्रत्येक वर्ष के अन्त में Compounding करते हुये की जावेगी ।

(v) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होने की स्थिति में संबंधित शासकीय सेवक की बकाया के लिये बाह्य नियोक्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगें। ऐसे शासकीय सेवक जिनसे शासकीय बकाया की वसूली हो रही है, को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करते समय संबंधित शासकीय सेवक के नियुक्तिकर्ता अधिकारी का दायित्व होगा कि वह इस वसूली की संम्पूर्ण जानकारी बाह्य नियोक्ता को दे।

(vi) यदि वसूली की किश्तों की पूर्ण वसूली के पूर्व ही शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाती है, तो शेष राशि उसके परिवार को देय स्वत्वों से वसूली योग्य होगी । यदि ऐसे शासकीय सेवक द्वारा सेवा से त्यागपत्र दिया जाता है, तो त्यागपत्र स्वीकृत करने के पूर्व इस पर देय बकाया राशि (पूर्ण ब्याज सहित) वसूल की जाएगी । शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के मामलों में बकाया राशि की वसूली पेंशनरी लाभों से की जाएगी ।

(vii) उपरोक्त आदेश सक्षम अधिकारियों द्वारा आदेशित वसूली योग्य राशियों के अतिरिक्त ऐसे सभी अग्रिम पर भी लागू होगें जिनका समायोजन उक्त अग्रिम के उपयोग हेतु निर्धारित समयावधि में नहीं हो पाता है । ऐसे समस्त अग्रिमों का जिनके लिए कोई निश्चित समयावधि निर्धारित नहीं है, राशि के आहरण की तिथि के 3 माह की अवधि में समायोजित करना आवश्यक होगा एवं उसके उपरान्त उक्त राशि इस ज्ञापन के अंतर्गत वसूली योग्य राशि में शामिल मानते हुये वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी ।

2/ उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sanika/Niyam/Paripatra/2011
5/28/2011

(3)

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 11-2/2011/नियम/चार भोपाल, दिनांक 31 मई, 2011

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
25. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
26. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(डी..के. सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

(५७)

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांकः एफः 12-35/2014/नियम/चार भोपाल, दिनांक 04 जुलाई, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - शासकीय सेवकों से बकाया वसूली के संबंध में ।

संदर्भ- वित्त विभाग का आदेश क्रमांक एफ 11-2/2011/नियम/चार, दिनांक 31-5-2011.

---•••---

विषयान्तर्गत जारी संदर्भित आदेश के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय सेवक से वसूली योग्य राशि पर दिनांक 31-5-2011 के पूर्व की अवधि का ब्याज नहीं लिया जाएगा परन्तु वसूली योग्य सम्पूर्ण राशि पर इस तिथि के पश्चात ब्याज की गणना की जानी होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(मनीष रस्तोगी)
सचिव,
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 09 जुलाई, 2014

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 12-35/2014/नियम/चार

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

(5)

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ 11-2/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 31-3-2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर,
समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

विषय :— **शासकीय सेवको से बकाया वसूली के संबंध में किश्तो का निर्धारण।**
संदर्भ :— वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ–11–2/2011/नियम/चार दिनांक 31 मई 2011 तथा क.एफ–12–35/2014/नि./चार दि. 9 जुलाई 2014

***

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 11527/2014 स्टेट आफ पंजाब विरूद्व रफीक मसीह मे पारित निर्णय दिनांक 18–12–2014 में निम्नांकित श्रेणी के शासकीय सेवको को त्रुटिवश हुए अधिक भुगतान की वसूली निषेधित की है।

(1) Having examined a number of judgments rendered by this Court, we are of the view, that orders passed by the employer seeking recovery of monetary benefits wrongly extended to employees, can only be interfered with, in cases where such recovery would result in hardship of a nature, which for outwigh, the equitable balance of the employer's right to recover. In other words, interference would be called for, only in such cases where, it would be iniquitous to recover the payment made. In order to ascertain the parameters of the above consideration, and the test to be applied, reference needs to be made to situations when this Court exempted exmployees from such recovery, even in exercise of its jurisdiction under Article 142 of the Constitution of India. Repeated exercise of such power, "for doing complete justice in any cause" would establish that the recovery being effected was iniquitous, and arbitrary. And accordingly, the interference at the hands of this Court.

(2) As between two parties, if a determination is rendered in favour of the party, Which is the weaker of the two, without any serious determined to the other (which is truly a welfare State), the issue resolved would be in consonance with the concept of justice, which is assured to the citizens of India, even in the preamble of the Constitution of India.

(6)

The right to recover being pursued by the exployer, will have to be compared, with the effect of the recovery on the concerned employee. If the effect of the recovery from the concerned employee would be, more unfair, more wrongful, more improper, and more unwarranted, than the corresponding right of the employer to recover, the amount, then if would be iniquitous and arbitrary, to effect the recovery. In such a situation, the employee's right would outbalance, and therefore eclipse, the right of the exployer to reicover.

(3) The doctrine of equality is a dynamic and evolving concept having many dimensions. The embodiment of the doctrine of equality, can be found in Articles 14 to 18, contained in Part III of the Constitution of India, dealing with "Fundamental Rights". These Articles of the Constitution besides assuring equality before the law and equal protection of the laws, also disallow, discrimination with the object of achieving equality, in matters of employment, abolish untouchability, to upgrade the social staus of an ostracized seation of the society, with such appellations. The embodiment of the doctrine of equality, can also be found in Articles 38, 39, 39A, 43 and 46 contained in Part IV of the Constitution of India, dealing with the "Directive Principles of State Policy". These Articles of the Constitution of India contain a mandate to the State requiring it to assure a social order peoviding justice-social, economic and political, by inter alia minimizing monetary inequalities and by securing the right to adequate means of livelihood, and by providing fro adequate wages so as ensure, an appropriate standard life, and by promoting economic, interests of the weaker sections.

(4) It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement Be that as it may, on the decisions referred to herein above, we may, as a ready referemce, summarise the follwing few situations, wherein recoveries by the employers, would be impressible in law.

(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service)

(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.

(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.

(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even through he should have rightfully been required to work against an inferior post.

(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion. that recovery if made from the employee, would be iniquidous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover.

2. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवको से बकाया वसूली के संदर्भित निर्देशों को कियान्वित किये जाने के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय को विचार में लिया जाए एवं प्रकरण के गुण दोष के आधार पर विभाग के स्तर से उपयुक्त आदेश वेतन निर्धारण में लापरवाही अथवा जानबूझकर गडबडी की स्थिति होने पर वेतन निर्धारण करने वाले व उसके अनुमोदन करने वाले पृथक पृथक शासकीय सेवकों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के उपरांत आदेश जारी किये जाये। वसूली यदि संभव हो तो पृथक पृथक अधिकारियें के लिये राशि निर्धारित किया जाये।

3. उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरूद्व मुकर्जी)
सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

पृष्ठा.कमांक एफ– 11-2 /2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 31-3-2016

प्रतिलिपि:–

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल
10. रजिस्ट्रार म.प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
13. अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिये
18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
22. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष–2, मंत्रालय भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो
25. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी
26. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन,वित्त विभाग

(9)

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ 11–1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 18/1/2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश

विषय :– **शासकीय सेवकों से बकाया वसूली के संबंध में किश्तो का निर्धारण।**

संदर्भ :– वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ–11–2/2016/नियम/चार दिनांक 31–3–2016

विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील क्र. 11527/2014 स्टेट आफ पंजाब विरूद्व रफीक मसीह में पारित निर्णय दिनांक 18–12–2014 के संबंधित अंश को उद्धृत करते हुये लेख है कि शासकीय सेवकों से बकाया वसूली के निर्देशों को कियान्वित किये जाने के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरवर्णित निर्णय को विचार में लिया जाकर प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर विभाग के स्तर से उपयुक्त आदेश जारी किया जाये।

2. यह समक्ष में आया है कि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण की स्थिति से अवगत होने के उपरांत भी संबंधित अधिकारियों द्वारा शासकीय सेवक को हुए अधिक भुगतान की वसूली व वेतन निर्धारण का तदनुसार नियमन सामयिक रूप से नहीं किया जाता है । इस शिथिलता के परिणामस्वरूप जहां अनियमित भुगतान की निरंतरता रहती है वहीं सेवा निवृत्ति के उपरांत प्रकरण के निराकरण के समय वसूली की राशि को संदर्भित परिपत्र के अंतर्गत माफ करने की स्थिति निर्मित हो जाती है। ऐसे प्रकरणों में माननीय न्यायालय की भी सेवा निवृत्त शासकीय सेवक के पक्ष में सहानुभूती रहती है।

3. अतः अपेक्षा है कि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण की स्थिति पर संबंधितों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जावे तथा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक से यदि अधिक भुगतान की राशि वसूल नहीं की जा सक रही है तब दोषी शासकीय सेवकों से ऐसी राशि वसूल की जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

17/1/18
(पंकज अग्रवाल)
प्रमुख सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

Rule- **203**

पृष्ठा.कमांक एफ 11–1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 18/1/2018

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आोग मध्यप्रदेश भोपाल
10. रजिस्ट्रार म.प्र.राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ ग्वालियर
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
13. अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिये
18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
22. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष–2, मंत्रालय भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो
25. अध्यक्ष, म0प्र0राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
26. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी
27. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन,वित्त विभाग

Rule- 204

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

F 11-4/2020
क्रमांक 2913 / 2019 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 12-06-2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर,
समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

विषय :— शासकीय सेवकों के बकाया वसूली के संबंध में।

संदर्भ :—1. वित्त विभाग का परिपत्र क. एफ 11—2 / 1 / 2011 / नियम / चार दिनांक 31 मई 2011
2. वित्त विभाग का परिपत्र क. एफ 12—35 / 2014 / नियम / चार दिनांक 09 जुलाई 2014
3. वित्त विभाग का परिपत्र क. एफ 11—2 / 2016 / नियम / चार दिनांक 31 मार्च 2016
4. वित्त विभाग का परिपत्र क. एफ 11—2 / 8 नियम / चार भोपाल, दिनांक 18 जनवरी,2018

***

1. पृष्ठभूमि—

1.1 राज्य शासन के समक्ष में आया है कि शासकीय सेवकों को उनके सेवाकाल में त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण एवं वेतन वृद्धियों के आदि के परिणामस्वरूप हुए अधिक भुगतानों की स्थिति ज्ञात हो जाने पर भी संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा अधिक भुगतान के तत्समय समायोजन की कार्यवाही नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में न केवल शासन को आर्थिक क्षति होती है बल्कि कई अनावश्यक वाद भी उत्पन्न होते है।

2. अधिक भुगतान की वसूली का निर्धारण—

2.1 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक 11527 / 2014 स्टेट ऑफ पंजाब विरूद्ध रफीक मसीह में पारित निर्णय दिनांक 18—12—2014 के अनुकम में वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र क. 3 व 4 के द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये गये कि शासकीय सेवकों से बकाया वसूली को कियान्वित किये जाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरवर्णित निर्णय को विचार में लिया जाए ।

(12)

2.2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरवर्णित याचिका में पारित, निर्णय दिनांक 18–12–2014 में निम्नांकित श्रेणी की परिधि में आने वाले शासकीय सेवायुक्तों/पेंशनर्स से वसूली की कार्यवाही को इस धारणा के आधार पर निषेधित किया गया है कि वेतन निर्धारण में हुई त्रुटि आदि के लिए शासकीय सेवक स्वयं उत्तरदायी नहीं हैं एवं सेवानिवृत्ति के समय अधिक भुगतान की वसूली से सेवानिवृत्ति उपरांत जीवनयापन में कठिनाई आ सकती है।

(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class IV service (or Group 'c' and Group 'd' service)

(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within on year, of the order of recovery.

(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.

(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even through he should have rightfully been required to work against an inferior post.

(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquidous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover.

2.3 उर्पयुक्त संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 3500/2006 उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा विरूद्व जगदेव सिंह के न्यायिक प्रकरण में पैरा 3 में वर्णित सिविल अपील 11527/2014 में पारित आदेश दिनांक 18–12–2014 का उपर्युक्त पैरा 2.2 में उद्भूत स्थितियों के बिन्दु (ii) का निर्वचन करते हुए दिनांक 29–07–2016 को आदेश पारित किया गया है। इस आदेश का पैरा 11 एवं 12 निम्नानुसार हैः–

11. The principle enunciated in proposition (ii) above cannot apply to a situation such as in the present case. In the present case, the officer to whom the payment was made in the first instance was clearly placed on notice that any payment found to have been made in excess would be required to be refunded. The officer furnished an undertaking while opting for the revised pay scale. He is bound by the undertaking.

(13)

12. **For these reasons, the judgment of the High Court which set aside the action for recovery is unsustainable. Howere, we are of the view that the recovery should be made in reasonable instalments. We direct that the recovery be made in equated monthly instalments spread over a period of two years.**

3. अधिक भुगतान की वसूली की प्रकिया :–

3.1 शासकीय सेवकों से अधिक भुगतान की वसूली के संदर्भित निर्देशों को कियान्वित किए जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–07–2016 को भी समग्र रूप से विचार में लिया जाये। वसूली की स्थिति में अधिकतम दो वर्ष की अवधि में मासिक किश्तों का निर्धारण कर वसूली की कार्यवाही की जावे, परन्तु मासिक किश्त निर्धारण में यह सुनिश्चित किया जाए कि शासकीय सेवक से वसूली की मासिक किश्त उसके मासिक सकल वेतन की राशि के एक तिहाई से अधिक हो। ऐसी स्थिति में वसूली की अवधि को दो वर्षो से अधिक हो सकेगी।

3.2 शासकीय सेवक से वसूली का निर्धारण हो जाने उपरान्त पैरा 2 अनुसार की जाने वाली वसूली योग्य राशि में समय–समय पर सामान्य भविष्य निधि की निर्धारित ब्याज दर के अनुसार साधारण ब्याज दर से ब्याज की राशि भी सम्मिलित की जाए। ब्याज की गणना दिनांक 31–5–2011 से आगे की अवधि के लिये की जाए। यह ब्याज दर, इस आदेश के जारी होने की तिथि के पश्चात जारी होने वाले आदेशों पर लागू होगी। अन्यथा रूप से पूर्व निर्णीत प्रकरणों को खोला नही जाएगा। शासकीय सेवक से वसूली की कार्यवाही निम्नानुसार की जाएगी :–

3.2.1 शासन की समस्त वसूली योग्य राशि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

3.2.2 कार्यालय प्रमुख के लिये यह आवश्यक होगा कि वसूली की राशि के निर्धारण के तत्काल उपरान्त /पश्चात शासकीय सेवक से वसूली के आदेश जारी हो परन्तु आदेश जारी करने में 07 दिवस से अधिक का विलंब नही होना सुनिश्चित किया जाए। शासकीय बकाया की वसूली देय राशि के निर्धारण के तत्काल पश्चात के मासिक वेतन के बिल से सकल वेतन से निर्धारित किश्त अनुसार शुरू हो जाएगी एवं तब तक जारी रहेगी, जब तक ब्याज सहित पूर्ण राशि की वसूली नही हो जाती। शासकीय सेवक पर ब्याज का भार कम करने के उदेश्य से शासकीय सेवक को देय अन्य स्वत्व जैसे वेतन/भत्तो के एरियर्स, मानदेय आदि से भी बकाया की वसूली की जा सकेगी।

(14)

3.2.3 बकाया की वसूली मात्र इस आधार पर स्थगित नहीं की जाये कि संबंधित शासकीय सेवक के द्वारा इस संबंध में सक्षम अधिकारी को अपील की गई है, जो अभी निर्णय हेतु लंबित है। जब तक ऐसी किसी कार्यवाही में स्पष्टतः वसूली पर स्थगन आदेश नहीं हो, वसूली निर्धारित प्रकिया अनुसार जारी रहेगी।

3.2.4 शासकीय सेवक से बकाया एवं ब्याज की वसूली के लिए संबंधित कार्यालय प्रमुख पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। यदि उपरोक्त निर्देशों के पालन में लापरवाही की जाती है, तो संबंधित कार्यालय प्रमुख के विरूद्व आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर शासन को हुई हानि की क्षतिपूर्ति की जा सकेगी।

3.2.5 प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होने की स्थिति में संबंधित शासकीय सेवक की बकाया के लिये बाह्य नियोक्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगें। ऐसे शासकीय सेवक जिनसे बकाया की वसूली हो रही है, को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करते समय संबंधित शासकीय सेवक के नियुक्तिकर्ता अधिकारी का दायित्व होगा कि वह इस वसूली की सम्पूर्ण जानकारी बाह्य नियोक्ता को दे।

3.2.6 शासकीय सेवक द्वारा सेवा से त्यागपत्र दिया जाता है, तो त्यागपत्र स्वीकृत करने के पूर्व देय बकाया राशि (पूर्ण ब्याज सहित) वसूल की जाएगी। शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के मामलों में बकाया राशि की वसूली सेवा निवृत्त लाभों से की जाएगी।

3.2.7 उपरोक्त आदेश सक्षम अधिकारियों द्वारा आदेशित वसूली योग्य राशियों के अतिरिक्त ऐसे सभी अग्रिम पर भी लागू होगें जिनका समायोजन उक्त अग्रिम के उपयोग हेतु निर्धारित समयावधि में नहीं हो पाता है। ऐसे समस्त अग्रिमों का जिनके लिए कोई निश्चित समयावधि निर्धारित नहीं है, राशि के आहरण की तिथि के 3 माह की अवधि में समायोजित करना आवश्यक होगा एवं उसके उपरान्त उक्त राशि इस ज्ञापन के अंतर्गत वसूली योग्य राशि में शामिल मानते हुये वसूली की कार्यवाही की जावेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय चौबे)
उप सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

(15)

F 11-4/2020

पृष्ठा.कमांक ~~एफ–8–1/2015~~ / नियम / चार भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री / राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल
10. रजिस्ट्रार म.प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल / जबलपुर / इंदौर / ग्वालियर
11. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर / ग्वालियर
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी / आडिट) 1 / 2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
13. अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल
14. अध्यक्ष, कर्मचारी आयोग, बी–1, गोमतिका परिसर, भोपाल
15. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
16. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
18. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिये
19. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा / अधीक्षण शाखा / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल
20. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
21. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
22. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
23. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघो
25. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
26. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

हस्ता०/–
(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन,वित्त विभाग

Rule-432

(16)

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक 814/एफ 640/ 2021/नियम/चार भोपाल, दिनांक 27/04/2021

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,

अध्यक्ष,राजस्व मंडल, ग्वालियर,

समस्त संभागीय आयुक्त,

समस्त विभागाध्यक्ष,

समस्त जिलाध्यक्ष,

मध्यप्रदेश।

विषय :- शासकीय सेवको कें बकाया वसूली के संबंध में किश्तों का निर्धारिण ।

संदर्भ :- वित्त विभाग का आदेश क्रमांक एफ 11-2/2016/नियम/चार दिनांक 31.03.2016

// आंशिक संशोधन आदेश //

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा संदर्भित आदेश से शासकीय सेवकों से वसूली के संबंध में किश्तों के निर्धारिण संबंधी निर्देश जारी किये गये है। उक्त आदेश के पैरा-1 के बिन्दु-4 में त्रूटिवश "impressible in law" टंकण हो गया है।

जिसे सुधार पश्चात ***"impermissible in law"*** पढा जाये ।

शेष यथावत रहेंगा ।

(वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.03.2016 की प्रति संलग्न है।)

27/04/2021

(विवेक कुमार घारू)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

9 Order - 75

(17)

पृ. क्रमांक /एफ 640/ 2021/नियम/चार भोपाल, दिनांक 27/04/2021

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश , विधान सभा भोपाल।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग इन्दौर।
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश शासन।
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन , भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल।
10. रजिस्ट्रेार मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर
12. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/ऑडिट/ 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
13. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. अध्यक्ष, कर्मचारी कल्याण, बी-1 गोमतिका परिसर, भोपाल।
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभगा, भोपाल।
16. आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल मध्यप्रदेश।
17. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय मध्यपद्रशा भोपाल।
18. संचालक पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल मध्यप्रदेश।
19. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिये।
20. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा /अधीक्षण शाखा/अभिलेख /मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल।
21. मुख्य सचिव, के स्टाफ ऑफिसर मंत्रालय , भोपाल।
22. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश।
23. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
24. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल।
25. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
26. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी।
27. डॉ. सीमा सक्सेना, प्रोफे. यू.आई.टी. आर.जी.पी.वी. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
28. गार्ड फाईल प्रति।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग

(16)

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्र. एफ 11- 2/2026 /नियम/चार भोपाल, दिनांक 9 मार्च,2026

प्रति,

1. संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा
   मध्यप्रदेश भोपाल
2. संभागीय / जिला पेंशन अधिकारी
   जिला (समस्त) मध्यप्रदेश

विषयः- मध्यप्रदेश शासन के सेवानिवृत शासकीय सेवकों की वकाया वसूली विषयक ।
संदर्भः- म०प्र० शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्र. एफ 11-4 /2020/ नियम / चार, दिनांक 12.06.2020 ।

000

राज्य शासन के शासकीय सेवकों के विसंगतिपूर्ण वेतन निर्धारण आदि से उद्भूत हुये अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न SLP (विशेष अनुमति याचिका) में पारित आदेश के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ।

2/ मान. उच्च न्यायालय द्वारा सेवानिवृत कार्मिक को हुये अधिक भुगतान की वसूली से संबंधित रिट याचिका WP 1372/2026 (श्री हरिबाबू चौकीदार विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 15 जनवरी, 2026 में लेख है कि "In view of the aforesaid observations, as the entire District Pension Officers spread over the State of Madhya Pradesh are required to be apprised of the decisions of the Apex Court in the case of Rafiq Masih (supra) Rafiq Masih (supra) as well as the Full Bench of this Court in Jagdish Prasad (Supra), the counsel for the respondent/State is requested to communicate this order to Chief Secretary, who in turn, shall take steps for communicating the said directions/orders to the entire District Pension Officers in the entire State of Madhya Pradesh so as to avoid the unnecessary litigations in future."

3/ मान. उच्च न्यायालय के उपर्युक्त कंडिका 2 में वर्णित आदेश से यह विदित होता है कि कतिपय संभागीय एवं जिला पेंशन अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत शासकीय कर्मचारियों को हुये अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, वित्त

(19)

विभाग द्वारा मान. सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील 3500/2006 (उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा विरूद्ध जगदेव सिंह) में पारित आदेश दिनांक 29.07.2016 के दृष्टिगत परिपत्र क्र. एफ 11-4 /2020/ नियम / चार, दिनांक 12.06.2020 को संज्ञान में नही लिया गया है।

4/ मान. उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में संभागीय एवं जिला पेंशन अधिकारियों का ध्यान मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र. एफ 11-4 /2020/ नियम / चार, दिनांक 12.06.2020 की ओर आकृष्ट किया जाकर यह निर्देशित किया जात है कि राज्य शासन के उक्त दिशा-निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 9 मार्च,2026

पृ. क्र. एफ 11-2/2026 /नियम/चार

प्रतिलिपिः-

महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।

अवर सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

Order - 19